



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025 / 168

दर्ज तिथि:—05.05.2025

1. श्रीराम पुत्र हेमाराम
 2. अर्जुनराम पुत्र हेमाराम
- कौम विश्नोई निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल पुत्र रणजीताराम जाति विश्नोई
 2. बाबूलाल पुत्र तगाराम
 3. गोविन्दा पुत्र मागा जाति भील
 4. अगरा पुत्र मांगा
 5. तेजा पुत्र मदरूपा
 6. अर्जुनराम पुत्र मानाराम
- जाति भील निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
7. उपवन संरक्षक बाड़मेर
 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।

.....असल विप्रार्थी

.....तरमीम विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:- श्री सुखराम विश्नोई

अप्रार्थीगण:- एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128

राजस्थान भू-राजस्व अधि-1956

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:—13.06.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 राजस्थान भू-राजस्व अधि-1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र

पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 1690/4/6.5640 है0 मौजा गुड़ामालानी पटवार मण्डल गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रुकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना-पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेशांक दिनांक 11.11.2024 की पालना में पटवारी हल्का गुड़ामालानी द्वारा दिनांक 23.04.2025 द्वारा मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाइश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 23.04.2025 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।
3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 23.04.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।
4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:—

111. Decision of disputes as to boundaries.—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-111 के अनुसार खसरो की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैं। खसरो की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-128 के तहत प्रावधान बनाये गये हैं। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

128. Boundary disputes. - All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:

Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072-2076 वाके ग्राम गुड़ामालानी पटवार हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम गुड़ामालानी के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 23.04.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा-128 भू-राजस्व अधिनियम-1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 1690/4/6.5640 है0 मौजा गुड़ामालानी पटवार मण्डल गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर सक्षम न्यायालय के स्थगन के अधधीन रहते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 13.06.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी (बाड़मेर)

